न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 12/2011/223 आर टी ए

1. बीरूराम पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. बेगराज पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. चन्दाराम पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर (मृतक)
2. पुरखाराम पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. मानोदेवी पत्नि स्व. भादरराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. कृष्ण पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. रामकुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. संतलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. रामस्वरूप पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. सुन्दर पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. संतोष पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– तरतीबी रेस्पोडेंटस

10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
11. गोकलराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. बृजलाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. कृष्ण पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र0सं0 295/2008 अनवानी बीरूराम आदि बनाम चन्दाराम आदि

उपस्थित :–
श्री जयलाल कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांटस
श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता रेस्पो0
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 10

निर्णय दिनांकः–19.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 आरटीए का पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये अपीलांटस का वाद खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने तनकी सं. 1 ता 3 का निर्णय गलत किया है तथा उक्त तनकीयात वादीगण ने अपने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित की थी तथा दस्तावेजी साक्ष्य वसीयतनाता प्रदर्श–1 दिनांक 25.03.85 भलीभांति साबित थी तथा विचारण न्यायालय को वसीयत के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 9 को मुताबिक हक व हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित करना चाहिए था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी सही विश्लेषण के दावा वादीगण खारिज करने मे कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 4 का निर्णय गलत किया है। प्रतिवादीगण अपना क्लेम इकरारनामा दिनांक 29.09.97 माना है मगर इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही की जा सकती है तथा ना ही उनका ऐसी घोषणा हेतु कोई काउंटर क्लेम था मगर अधीनस्थ न्यायालय माननीय सिविल न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय का आधार माना है, उक्त निर्णय अन्तिम नही था तथा उसके खिलाफ वादीगण अपीलांट की तरफ से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे रिट जैरकार है तथा उनका कोई प्रभाव इस न्यायालय के निर्णय मे नही आता है फिर विचारण न्यायालय ने वसीयत दिनांक 25.03.85 को अनदेखा करते हुए दावा खारिज किया है जबकि वसीयतनामा आज भी प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 5 ता 7 का निर्णय अलग अलग नही कर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि चक 20 आरडब्ल्यूडी ए की भूमि धनपतराम के पास बतौर जद्दी जायदाद विरासतन अपने पिता से मिली थी तथा शेष भूमि चक 20 आरडब्ल्यूडी व 20 आरडब्ल्यूडी–ए व चक 19 आरडब्ल्यूडी की कृषि भूमि 1955 से पूर्व की होने के कारण धनपतराम के वारिसान को जिसमे चन्दाराम भी शामिल है, अन्तर्गत धारा 15एएए आरटीए के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। रिकार्ड मे भी मृतक धनपतराम के सभी पुत्रो का नाम दर्ज है जिसके मुताबिक ही सन् 1989 मे इंतकाल

Web Copy - Not Official

दर्ज कागजात है। चन्दाराम एक अच्छी सोच समझ वाला व्यक्ति है, जिसने अपने हिस्से व कब्जे की भूमि को रेस्पो0 सं. 11 व 123 के पक्ष मे जरिये इकरारनामा दिनांक 29.09.97 को 6 बीघा 14/2/5 बिस्वा कमाण्ड बैय कर दी तथा एक वाद इकरारनामा की विशिष्ट पालनार्थ अपर जिला न्यायाधीश नोहर के यहां जैरकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस का वाद दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार विवेचन कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 आरटीए पेश कर वसीयतनामा दिनांक 25.03.85 के आधार पर वादग्रस्त भूमि बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेखित करते हुए वाद खारिज कर दिया गया कि ''वसीयतनामा से साबित होता है कि धनपतराम द्वारा अपने नाम की भूमि भादरराम, पुरखाराम, बेगाराम व बीरूराम के नाम बहिब वसीयत की थी। प्रदर्श–2 ता 5 से यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि भादरराम, चन्दाराम, पुरखाराम, बेगाराम व बीरूराम पांचो भाईयो के नाम खातेदारी दर्ज है। वादीगण ने ऐसा कोई भी प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 चन्दाराम की खातेदारी भूमि नही हो तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ता 3 चारो के नाम ही खातेदारी दर्ज हो। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम खातेदारी बतौर हुक्मन दर्ज हुई है, यदि वादीगण को एतराज था तो जिस आदेश के ताबे वादग्रस्त भूमि पांचो भाईयो के नाम हुई, के आदेश के विरूद्ध नियमानुसार चाराजोही करनी चाहिए थी, उस बाबत भी स्पष्ट नही किया है। वाद वादीगण स्पष्ट व साबित नही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने से काबिले खारिज है।'' इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसमे बिना किसी औचित्य एवं त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official